क्रम-संख्या-153 (च)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
( सामान्य परिनियम नियम )

प्रयागराज, सोमवार, 25 जुलाई, 2022 ई0
(श्रावण 3, 1944 शक संवत्)

### कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 5895 दस-लाइसेंस-61/वि0म0 फुटकर नियमावली/2022-23

प्रयागराज, दिनांक : 25 जुलाई, 2022 ई0

**अधिसूचना**

सा0प0नि0–50

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 ( संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्वारा, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 10806/दस-97बी/संसाधन दिनांक 08 मार्च, 2001 (समय समय पर यथासंशोधित) द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर और वाइन को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों की व्यवस्थापन नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन (बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022**

1–**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन (बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2–नियम–2 का संशोधन**–उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमावली, 2001 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

| स्तम्भ–1<br>(विद्यमान नियम) | स्तम्भ–2<br>(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम) |
|---|---|
| 2 (1) परिभाषाएं– जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में– | 2 (1) परिभाषाएं– जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में– |
| (क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है। | (क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है; |
| (ख) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण आबकारी वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है) | **(ख) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रूपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से पूर्व–आसवनी मूल्य के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी तथा थोक लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी;** |
| (ग) "विदेशी शराब" का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गई स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा, जिससे कि वह सुगन्ध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, वाइन और मदिरा (लिक्युअर्स) सम्मिलित हैं; | **(ग) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा और वाइन पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;** |
| (घ) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है।'' | **(घ) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण आबकारी वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;** |
| (ङ) "परिवार" का तात्पर्य इसमें दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित–पुत्री/पुत्रियाँ और आश्रित माता–पिता सम्मिलित हैं | **(ङ) "धरोहर धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम–12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;** |
| (च) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है, | **(च) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;** |

| स्तम्भ–1<br>(विद्यमान नियम) | स्तम्भ–2<br>(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम) |
|---|---|
| (छ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है। | **(छ) "परिवार" का तात्पर्य इसमें दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित-पुत्री/पुत्रियों और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं;** |
| (ज) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से विदेशी मदिरा एवं वाइन की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल फीस के रुप में ली जाने वाली नियत राशि से है।<br>परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस की देयताओं का निर्धारण वर्ष की शेष आबकारी अवधि के समानुपातिक किया जायेगा। | **(ज) "विदेशी मदिरा" का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गई स्पिरिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्पिरिट या मदिरा, जिससे कि वह सुगन्ध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हो और उसमें माल्ट स्पिरिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, वाइन, मदिरा (लिक्युअर्स) और कम तीव्रता के मादक पेय सम्मिलित हैं;** |
| (झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा जमा की जायेगी जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है;<br>परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। | **(झ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है,** |
| (ञ) राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है। | **(ञ) "अनुक्रम" का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रुप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;** |
| (ट) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रूपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स-फैक्ट्री प्राइस के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी तथा थोक लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी। | **(ट) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;** |

| स्तम्भ–1<br>(विद्यमान नियम) | स्तम्भ–2<br>(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम) |
|---|---|
| (ठ) "धरोहर धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी। | **(ठ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से विदेशी मदिरा एवं वाइन की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल फीस के रुप में ली जाने वाली नियत राशि से है;**<br><br>**परन्तु यह कि यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस की देयताओं का निर्धारण वर्ष की शेष आबकारी अवधि के समानुपातिक किया जायेगा;** |
| (ड) "अनुक्रम"का तात्पर्य ई–लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रुप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है। | **(ड) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है;** |
| (ढ़) ''पोर्टल'' का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है। | **(ढ़) ''कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0)'' का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य किसी द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय ;** |
| (ण) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है। | **(ण) ''पोर्टल'' का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;** |
| (त) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो। | **(त) ''त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के त्रैमास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत विदेशी मदिरा, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय से प्राप्त समान राजस्व से है;** |
| (थ) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है। | **(थ) "प्रतिभूति धनराशि " का तात्पर्य लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/ बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा जमा की जायेगी जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है;** |

| स्तम्भ–1<br>(विद्यमान नियम) | स्तम्भ–2<br>(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम) |
|---|---|
| | **परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;** |
| (द) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा और वाइन पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी। | **(द) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;** |
| | **(ध) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।** |
| | **(न) राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;** |
| (2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों। | (2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों। |

**3–नियम-6 का संशोधन**–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम 6 | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| **6–लाइसेंस की स्वीकृति–** | **6–लाइसेंस की स्वीकृति–** |
| इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने एवं एवं जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा करने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा। | इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने एवं जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई–पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा। |
| परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहॉ से उसे लाइसेंस, स्वीकृति के समय जारी किया गया है। | परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहॉ से उसे लाइसेंस, स्वीकृति के समय जारी किया गया है। |

**4–नियम-8 का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| **8-आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें-**<br>फुटकर विदेशी मदिरा की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्- | **8-आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें:-**<br>फुटकर विदेशी मदिरा की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्- |
| (क) आवेदन एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो जो भारत का नागरिक हो, भी मान्य होगा। | (क) आवेदन एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो जो भारत का नागरिक हो, भी मान्य होगा। |
| भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/ मदिरा निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा। | भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/ मदिरा निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा। |
| दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है। | दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है; |
| परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसो)के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारी बना रह सकेगा या दोनो व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंसधारक बने रह सकते हैं। व्यक्तियों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगें। | परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसों)के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंसधारी बना रह सकेगा या दोनो व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंसधारक बने रह सकते हैं। व्यक्तियों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे; |
| (ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो। | (ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो। |
| (ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो। | (ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो; |
| (गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वंय के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों आवेदन हेतु पात्र होगें तथा नवीकरण हेतु दोनों की पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी। | (गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वंय के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों आवेदन हेतु पात्र होगें तथा नवीकरण हेतु दोनों की पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी; |

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| (घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगाः- | (घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगाः- |
| (एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है। | (एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है; |
| (दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। | (दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है; |
| (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो। | (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो; |
| (चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकद्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है। | (चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है। |
| (पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से प्राधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा। | (पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से प्राधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा। |
| (छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है। | (छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है। |

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| (सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा। | (सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा। |
| (आठ) यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। | (आठ) यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। |
| (नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा। | (नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा। |
| (दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर चयन के अडतालीस घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया हो, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा। | (दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर चयन के अड़तालीस घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे ऑन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया हो, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा। |
| (ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है। | (ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है। |
| (ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति, आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। | (ङ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति, आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। |
| लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् अडतालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिया जायेगा। | लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् अडतालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा,जिसे सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिया जायेगा; |
| (च) यह कि आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/ प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नही होगी: | (च) यह कि आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/ प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नही होगी; |

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे। | परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे। |

**5–नियम-9 का संशोधन–**उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति- | लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति- |
| विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित होगे अर्थात्ः- | विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु लाइसेंसधारियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे अर्थात्ः- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (एक) | जिले का कलेक्टर | अध्यक्ष | (एक) | जिला का कलेक्टर | अध्यक्ष |
| (दो) | जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | सदस्य | (दो) | जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठपुलिसअधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक से अन्यून हो, | सदस्य |
| (तीन) | आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी | सदस्य | (तीन) | आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी | सदस्य |
| (चार) | जिले का जिला आबकारी अधिकारी | सदस्य/सचिव | (चार) | जिला का जिला आबकारी अधिकारी | सदस्य/सचिव |

**6-नियम-10 का संशोधन**–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 10-लाइसेंसधारी का चयन- | 10-लाइसेंसधारी का चयन- |
| (क) (i) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन दुकानों के लाइसेंसों का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा। | (क) (एक) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन दुकानों के लाइसेंसों का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा। |
| (ii) लाइसेंसों के नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा।जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त पात्र एंव अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष रखेगा। | (दो) लाइसेंसों के नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा।जिला आबकारी अधिकारी **ऑनलाइन** प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त पात्र एवं अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष रखेगा; |

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| (ख) उक्त समिति पात्र तथा अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में उसी अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी। | (ख) उक्त समिति पात्र तथा अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में उसी अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी; |
| परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसो के नवीकरण के लिए लागू नहीं होगा। | परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसधारी की मृत्यु की स्थिति में लाइसेंसो के नवीकरण एवं विधिक वारिस के पक्ष में लाइसेंस के नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगा। |
| परन्तु यह और भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से आगे की दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा। | परन्तु यह और भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से आगे की दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा; |
| (ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएं पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा। | (ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएं पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा; |
| (घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा। | (घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा। |

**7-नियम-12 का संशोधन**–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- | 12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- |
| यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस | यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस |

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद के माध्यम से जो सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्यहोगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। | कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से जो सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में **नकद** या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम सेजमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्यहोगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। |
| अनुवर्ती वर्ष में दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा, नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समयावधि में जमा की जायेगी। | अनुवर्ती वर्ष में दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा, नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समयावधि में जमा की जायेगी**;** |
| यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्यसरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा। | परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा*;*<br>परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का 15 प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा। |

8–नियम-13 का संशोधन–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1<br>(विद्यमान नियम) | स्तम्भ-2<br>(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम) |
|---|---|
| नियम-13 शराब का उठान- (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी शराब (वाइन सहित) के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी का लाइसेंस स्वीकृत नहीं है या आपूर्ति बाधित है तो लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी ) से विदेशी शराब (वाइन सहित)की आपूर्ति प्राप्त करेगा। | नियम-13 मदिरा का उठान- (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी का लाइसेंस स्वीकृत नहीं है या आपूर्ति बाधित है तो लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी ( विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी ) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित)की आपूर्ति प्राप्त करेगा। |

| स्तम्भ-1<br>(विद्यमान नियम) | स्तम्भ-2<br>(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम) |
|---|---|
| किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा। | किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा। |
| (ख) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु लगातार विदेशी मदिरा का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम गत वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठायी गयी विदेशी मदिरा की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की विदेशी मदिरा की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा। | (ख) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु लगातार विदेशी मदिरा का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम गत वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठायी गयी अथवा प्रत्येक त्रैमास हेतु यथागणित कर निर्धारित की गयी विदेशी मदिरा की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की विदेशी मदिरा की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा; |
| (ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी त्रैमास में कम से कम अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा(विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है, तो अगले त्रैमास हेतु उठान रोक दी जायेगी। | (ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी त्रैमास में कम से कम अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा(विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है, तो अगले त्रैमास हेतु उठान रोक दी जायेगी; |
| (दो) लाइसेंसधारी विलम्बमर्षण हेतु एवं उस त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य मदिरा उठाने के लिए एक शपथ पत्र के साथ अनुरोध करेगा। विलम्ब मर्षित किये जाने पर लाइसेंसधारी, त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा। | (दो) लाइसेंसधारी विलम्बमर्षण हेतु एवं उस त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य मदिरा उठाने के लिए एक शपथ पत्र के साथ अनुरोध करेगा। विलम्ब मर्षित किये जाने पर लाइसेंसधारी, त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा; |
| (तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी। | (तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी; |
| (चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक त्रैमासों की त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। | (चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक त्रैमासों की त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी; |
| यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उस प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो। | यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उस प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो; |
| (घ) (एक) त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर त्रैमासिक आधार पर ऐसे अंश(कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है। | (घ) (एक) अपनी दुकान के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, अन्य दुकान अथवा दुकानों को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर त्रैमासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का ऐसा अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है। |

| स्तम्भ-1<br>(विद्यमान नियम) | स्तम्भ-2<br>(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम) |
|---|---|
| (दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा। | (दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा। |
| (तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा। | (तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा। |
| (चार) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित कोटा अंतरण फीस, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा अनुरोध किये जाने के समय संदेय होगी। | (चार) "निकाल दिया गया" |
| परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उसी प्रकार से, अंतरिती लाइसेंसधारी अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक ऐसा अंतरित कोटा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। | परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। |

**9–नियम-18 क का संशोधन**–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-18 (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| **18 (क) अन्तरिम व्यवस्थापन-**<br>यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम् 14 दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा।<br>परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त को पूर्व सूचना दिये बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक नहीं करेगा। | **18 (क) अन्तरिम व्यवस्थापन-**<br>यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम् 14 दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा। |

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| (ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाईसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामलें में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघसार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा। | (ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाईसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामलें में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघसार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा। |

**10**—प्रपत्र-एफ0एल0-5 (घ) और एफ0एल0 5घ (1) का संशोधन—**उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ**–1 **में दिये गये विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0**–5 **(घ) और एफ0एल0** 5 **घ** (1) **के स्थान पर स्तम्भ**–2 **में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्**:–

| स्तम्भ-1<br>(विद्यमान प्रपत्र) | स्तम्भ-2<br>(एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र) |
|---|---|
| विदेशी मदिरा–5 (घ)<br>(नवीकरण हेतु ) | विदेशी मदिरा-5 (घ)<br>(नवीकरण हेतु ) |
| भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/कैन/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस | भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/कैन/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस |
| आवेदक का फोटो / सह–आवेदक का फोटो / दुकान का फोटो | आवेदक का फोटो / सह–आवेदक का फोटो / दुकान का फोटो |
| दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....<br>लाइसेंस संख्या.....<br>जिला.....<br>दुकान का नाम.....जिला.....<br>लाइसेंस फीस रूपया..... (अंकों में).....(शब्दों में)<br>प्रतिभूति धनराशि रू0..... (अंकों में).....(शब्दों में)<br>भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....<br>उत्तर :.....<br>दक्षिण : .....<br>पूरब :.....<br>पश्चिम:.....<br>लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते<br>(1).....पुत्र.....निवासी .....<br>(2).....पुत्र.....निवासी ..... | दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....<br>लाइसेंस संख्या.....<br>जिला.....<br>दुकान का नाम.....जिला…….....<br>लाइसेंस फीस रूपया …….....(अंकों में).....(शब्दों में)<br>प्रतिभूति धनराशि रू0 ..... (अंकों में).....(शब्दों में)<br>भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....<br>उत्तर :.....<br>दक्षिण : .....<br>पूरब :.....<br>पश्चिम:.....<br>लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते<br>(1).....पुत्र.....निवासी .....<br>(2).....पुत्र.....निवासी ..... |

| स्तम्भ-1<br>(विद्यमान प्रपत्र) | स्तम्भ-2<br>(एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र) |
|---|---|
| विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते<br>(1).....पुत्र.....निवासी .....<br>(2).....पुत्र.....निवासी .....<br>(3).....पुत्र.....निवासी .....<br>(4).....पुत्र.....निवासी ..... | **"निकाल दिया गया"** |
| भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/कैन/टेट्रापैक में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में)और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना....., तहसील..... के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है। | भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/कैन/टेट्रापैक में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में)और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना....., तहसील..... के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है। |
| यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा। | यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा। |
| **सामान्य और विशेष शर्तें** | **सामान्य और विशेष शर्तें** |
| 1-लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा। | 1-लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा। |

**सामान्य और विशेष शर्तें**

2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/कैन्स /टेट्रापैक्स के लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

6- विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा एवं वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।

7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज.इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक्स के लेबुलों पर 1 × 1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में तीव्रता एव अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया **जायेगा।** फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4-अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

6-विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा **तथा** वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों **में**) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।

7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज.इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

''> दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

>शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''

10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11-लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।

12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13-लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिताकी बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड,पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढ़क्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

14-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

'' > दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

>शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''

10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11-लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) औरभारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।

12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13-लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिताकी बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड,पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढ़क्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

14-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

**सामान्य और विशेष शर्तें**

16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

17-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।

18-विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।

21-विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक .....
जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

**विदेशी मदिरा-5 घ (1)**
**(नवीन लाइसेंस हेतु )**

**भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/केन्स/टेट्रा पैक्स में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस**

| आवेदक का फोटो | दुकान का फोटो |
|---|---|
| | |

**सामान्य और विशेष शर्तें**

16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

17-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।

18-विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।

21-विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।

**22-लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।**

दिनांक .....
जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

**विदेशी मदिरा-5 घ (1)**
**(नवीन लाइसेंस हेतु )**

**भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों/केन्स/टेट्रा पैक्स में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस**

| आवेदक का फोटो | दुकान का फोटो |
|---|---|
| | |

**विदेशी मदिरा-5 घ (1)**
**(नवीन लाइसेंस हेतु )**

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....

लाइसेंस संख्या.....

जिला.....

दुकान का नाम.....जिला.....

लाइसेंस फीस रूपया.....(अंकों में).....(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0.....अंकों में).....(शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....

उत्तर :.....

दक्षिण : .....

पूरब :.....

पश्चिम:.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1).....पुत्र.....निवासी .....

(2).....पुत्र.....निवासी .....

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1).....पुत्र.....निवासी .....

(2).....पुत्र.....निवासी .....

(3).....पुत्र.....निवासी .....

(4).....पुत्र.....निवासी .....

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/केन्स/टेट्रापैक में 2000 मि.ली. 1000 मि.ली. 750 मि.ली. 500 मि.ली. 375 मि.ली. 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में)और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित हैए की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान पुलिस थाना..... तहसील..... के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी हैए लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

**विदेशी मदिरा-5 घ (1)**
**(नवीन लाइसेंस हेतु )**

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....

लाइसेंस संख्या.....

जिला.....

दुकान का नाम.....जिला.....

लाइसेंस फीस रूपया.....(अंकों में).....(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0..... .....अंकों में).....(शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....

उत्तर :.....

दक्षिण : .....

पूरब :.....

पश्चिम:.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नामए पिता के नाम और पते

(1).....पुत्र.....निवासी .....

(2).....पुत्र.....निवासी .....

निकाल दिया गया

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/कैन/टेट्रा पैक में 2000 मि.ली. 1000 मि.ली. 750 मि.ली. 500 मि.ली. 375 मि.ली. 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में)और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान पुलिस थाना..... तहसील..... के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

**विदेशी मदिरा-5 घ (1)**
**(नवीन लाइसेंस हेतु )**

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1. लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीसए उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2 बी) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2. लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगाए जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3. विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/कैन्स /टेट्रापैक्स के लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4. अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5. किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

6. विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा एवं वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली.(रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके ऊपर की श्रेणियों में) शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में और विदेशी मदिरा एवं वाइन की सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।

**विदेशी मदिरा-5 घ (1)**
**(नवीन लाइसेंस हेतु )**

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1. लाइसेंसधारी जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करोंए प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2 बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2. लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3. विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक्स के लेबुलों पर 1X1 सेंटीमीटर के दृश्य शब्दों में तीव्रता एव अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4. लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5. किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

6. विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा तथा वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली. (रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।

विदेशी मदिरा-5 घ (1)
(नवीन लाइसेंस हेतु )

7. लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0. 25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया होए में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज.इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8. लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0;प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

9. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगाए जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नामए दुकान की अवस्थितिए लाइसेंस की अवधिए दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

'' >दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

>शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''

10. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगाए जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिकए पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम(व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।

12. उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13. लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिता की बोतलों/केन्स/टेट्रा पैक्स या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

विदेशी मदिरा-5 घ (1)
(नवीन लाइसेंस हेतु )

7. लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0. 25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपी एक्साइज ऑनलाइन डॉटइन (upexcise on line. in) पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8. लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0;प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

9. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

'' >दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

>शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''

10. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।

12. उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13. लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिताकी बोतलों/केन्स/टेट्रा पैक्स या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

**विदेशी मदिरा-5 घ (1)**

**(नवीन लाइसेंस हेतु )**

**14. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।**

**15. सिवाय लाइसेंसधारी/विक्रेता और उसके परिवार द्वाराए परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।**

**16. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।**

**17. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।**

**18. विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

**19. लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।**

**20. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।**

**21. विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।**

**दिनांक .....**

**जिला.....**

**लाइसेंस प्राधिकारी**

**विदेशी मदिरा-5 घ (1)**

**(नवीन लाइसेंस हेतु )**

**14. लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्पिरिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।**

**15. सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।**

**16. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।**

**17. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।**

**18. विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

**19. लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।**

**20. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।**

**21. विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।**

**22. लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूचीजिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।**

**दिनांक .....**

**जिला.....**

**लाइसेंस प्राधिकारी**

आज्ञा से,
सेंथिल पांडियन सी0,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

**OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ**

**No. 5895/X-License-61/FL-Retail Niyamawali 2022-23/Prayagraj**

*Prayagraj, dated* : *July* 25, 2022

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no-IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise Settlement of licences for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer and Wine) Rules, 2001. published vide Excise Commissioner notification no. 10806/X- 97B/Sansdhan dated March 08, 2001 (as amended time to time).

**THE UTTAR PRADESH EXCISE SETTLEMENT OF LICENCES FOR RETAIL SALE OF FOREIGN LIQUOR (EXCLUDING BEER) (TWENTIETH AMENDMENT) RULES, 2022**

**1. Short title and commencement**–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer) (Twentieth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

**2. Amendment of rule-2**–In the Uttar Pradesh Excise Settlement of licences for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer) Rules, 2001, herein after referred to as the said rules, for rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:

| **Column-I** *(Existing rule)* | **Column-II** *(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| **2 (1) Definition:-** | **2 (1) Definition:-** |
| In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:- | In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:- |
| (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time. | (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time**;** |
| (b) "Daily Licence Fee" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole excise year. | (b) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price; |
| (c) "Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Liqueurs and Low- strength Alcoholic Beverages (LAB). | (c) "consideration fee" means a fee for foreign liquor and wine as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of foreign liquor and wine; |

| **Column-I**<br>*(Existing rule)* | **Column-II**<br>*(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| (d) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year. | (d) "Daily Licence Fee" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole excise year; |
| (e) "family" means and included spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents; | (e) "Earnest money" means the amount equal to 1/10 of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these Rules; |
| (f) "Form" means the form appended to these rules; | (f) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year; |
| (g) "Licensing Authority" means the Collector of the District; | (g)"family"means and included spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents; |
| (h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration fee for the grant of the licence for exclusive privilege for selling of foreign liquor, wine in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof;<br>Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the excise year. | (h) "Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Liqueurs and Low- strength Alcoholic Beverages (LAB); |
| (i) "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed deposit receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.<br>Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded. | (i) "Form" means the form appended to these rules; |
| (j) "State" means the State of Uttar Pradesh. | (j) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery; |

| **Column-I**<br>*(Existing rule)* | **Column-II**<br>*(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| (k) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price. | (k) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application; |
| (l) "Earnest money" means the amount equal to 1/10 of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these Rules. | (l) "Licence fee" means a sum fixed in consideration fee for the grant of the licence for exclusive privilege for selling of foreign liquor, wine in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof:<br>Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the excise year; |
| (m) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery. | (m) "Licensing Authority" means the Collector of the District; |
| (n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution. | (n) "Low-strength Alcoholic Beverages (LAB)" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol up to 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Neutral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavoring or coloring matter or both and any other material so as to give it a special flavor; |
| (o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence. | (o) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution; |

| **Column-I**<br>*(Existing rule)* | **Column-II**<br>*(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| (p) "Individual"means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application. | (p) "Quarterly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Foreign liquor, Wine and LAB as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a quarter of an Excise year for the purpose of retail sale; |
| (q) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year. | (q) "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed deposit receipt/Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government:<br><br>Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded; |
| (r)"consideration fee" means a fee for foreign liquor and wine as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of foreign liquor and wine. | (r) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department; The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year; |
| (s) "Low-strength Alcoholic Beverages (LAB)" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol up to 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Neutral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavoring or coloring matter or both and any other material so as to give it a special flavor. | (s) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence; |

| Column-I *(Existing rule)* | Column-II *(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| (t) "Quarterly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Foreign liquor, Wine and LAB as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a quarter of an Excise year for the purpose of retail sale. | (t) "State" means the State of Uttar Pradesh. |
| (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. | (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. |

**3. Amendment of rule 6–** In the said rules, for existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

| Column-I *(Existing rule 6)* | Column-II *(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| **6. Grant of licence–**<br>The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules.<br>Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence. | **6. Grant of licence–**<br>The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt/ Bank Guarantee pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules**:**<br>Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence. |

4. Amendment of rule 8– In the said rules, for existing rule 8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

| Column-I *(Existing rule )* | Column-II *(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| **8-Eligibility conditions for applicant-**<br>Eligible applicant for licence of a retail foreign liquor shop shall fulfill following conditions, namely:-<br>(a) Application by an individual who is a citizen of India.<br>"Provided that in case of renewal, co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed; | **8-Eligibility conditions for applicant-**<br>Eligible applicant for licence of a retail foreign liquor shop shall fulfill following conditions, namely:-<br>(a) Application by an individual who is a citizen of India**:**<br>" Provided that in case of renewal, co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed. |

| **Column-I**<br>*(Existing rule )* | **Column-II**<br>*(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ Manufacturer of liquor shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop. | No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ Manufacturer of liquor shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop. |
| No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license. | No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license**:** |
| Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible: | Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible**;** |
| (b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application; | (b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application; |
| (c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under Act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license; | (c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under Act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license; |
| (cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential ; | (cc) the applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential **;** |
| (d) submit an affidavit duly verified by public notary as proof of the following namely: | (d)submit an affidavit duly verified by public notary as proof of the following namely**:** |
| (i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time, | (i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time; |
| (ii) that his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules, | (ii) that his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules; |

| **Column-I**<br>*(Existing rule )* | **Column-II**<br>*(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| (iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non bailable offence, | (iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non bailable offence; |
| (iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, prior to issuance of licence, | (iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, prior to issuance of licence; |
| (v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer, | (v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer**;** |
| (vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues, | (vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues**;** |
| (vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required, | (vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required**;** |
| (viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled, | (viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled**;** |

| **Column-I**<br>*(Existing rule )* | **Column-II**<br>*(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| (ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the State Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence**;** | (ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the State Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence**;** |
| (x) that In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within forty eight hours of such selection, | (x) that In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within forty eight hours of such selection; |
| (xi) that he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase; | (xi) that he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase**;** |
| (e) That he shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government. | (e) That he shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government; |
| In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues. | In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues; |
| (f) That he is holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district: | (f) That he is holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district: |
| Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount. | Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount; |

**5. Amendement of rule 9–**In the said rules, for existing rule 14 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

| **Column-I** *(Existing rule )* | **Column-II** *(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| **9. District Level Committee for Licensing-** | **9. District Level Committee for Licensing-** |
| There shall be a District Level Committee for selection of licensees for retail sale of foreign liquor. The committee shall consist of the following members, namely- | There shall be a District Level Committee for selection of licensees for retail sale of foreign liquor. The committee shall consist of the following members, namely- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) | The Collector of the District | Chairman | (i) | The Collector of the District | Chairman |
| (ii) | The Senior Superintendent Of Police/ the Superintendent of Police of the District | Member | (ii) | The Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police of the concerning district or an Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning Police Commissionerate. | Member |
| (iii) | One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner | Member | (iii) | One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner | Member |
| (iv) | The District Excise Officer of the District | Member/ Secretary | (iv) | The District Excise Officer of the District | Member/ Secretary |

**6. Amendement of rule 10–** In the said rules, for existing rule 10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

| **Column-I** *(Existing rule)* | **Column-II** *(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| **10- Selection of licensee-** | **10- Selection of licensee-** |
| (a) (i) Licenses of shops may be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government. | (a) (i) Licenses of shops may be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government. |
| (ii) In case of non-renewal, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender. | (ii) In case of non-renewal, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender; |

| **Column-I**<br>*(Existing rule)* | **Column-II**<br>*(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| (b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State: | (b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State: |
| Provided that aforesaid restriction shall not be applicable to the renewal of licenses as per the criteria laid down by the State Government. | Provided that aforesaid restriction limit shall not be applicable to matter related to renewal of licenses and mutation of licence in favour of legal heir in the event of death of licencee as per the criteria laid down by the State Government; |
| Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery. | Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery; |
| (c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or a unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government. | (c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or a unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government**;** |
| (d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government. | (d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government. |

7. Amendement of rule 12– In the said rules, for existing rule 12 set out in Column-I below,the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

| **Column-I**<br>*(Existing rule)* | **Column-II**<br>*(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| 12. Payment of License fee and Security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable until it is not refunded. | 12. Payment of License fee and Security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt/ **Bank Guarantee** pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable until it is not refunded. |
| In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government, Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government. | In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government, Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government**:** |
| If he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled and his earnest money and license fee as well as the security amount deposited by him, shall be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government. | Provided, if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled**:**<br>Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government. |

8. Amendement of rule 13–In the said rules, for existing rule 13 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

| **Column-I** *(Existing rule)* | **Column-II** *(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| **13-Lifting of liquor-** | **13-Lifting of liquor-** |
| (a) The licensee under these rules shall obtain supplies of Foreign liquor including Wine from any wholesale licence (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of cost price of Foreign Liquor, including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the F.L.-2 /F.L.2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of Foreign liquor including wine , from wholesale licence (F.L.2/F.L.2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner | (a) The licensee under these rules shall obtain supplies of Foreign liquor including Wine from any wholesale licence (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of cost price of Foreign Liquor, including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the F.L.-2 /F.L.2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of Foreign liquor including wine , from wholesale licence (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner |
| In case of insufficient supply of any district, District excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner. | In case of insufficient supply of any district, District excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner; |
| (b) "Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign liquor to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal, requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or, message to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter foreign liquor, at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of foreign liquor lifted in the preceding year.'' | (b) "Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign liquor to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal, requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or, message to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter foreign liquor, at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of foreign liquor lifted in the preceding year or as calculated for each quarter; |
| (c) (i) Provided, In case the licensee fails to lift liquor (foreign liquor, wine and LAB) at least equivalent to his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in a quarter, lifting for the next quarter shall be withheld. | (c) (i) Provided, In case the licensee fails to lift liquor (foreign liquor, wine and LAB) at least equivalent to his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in a quarter, lifting for the next quarter shall be withheld**;** |

| **Column-I**<br>*(Existing rule)* | **Column-II**<br>*(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| (ii) The licensee shall make a request for condonation of delay and for lifting of liquor equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of that quarter along with an affidavit. Upon condonation, the licensee shall deposit an additional security equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue. | (ii) The licensee shall make a request for condonation of delay and for lifting of liquor equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of that quarter along with an affidavit. Upon condonation, the licensee shall deposit an additional security equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue**;** |
| (iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of liquor equivalent to such shortfall in previous quarter along with Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the next quarter. | (iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of liquor equivalent to such shortfall in previous quarter along with Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the next quarter; |
| (iv) In case licensee fails to lift liquor equivalent to the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of one or more quarters before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded.<br>If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue . | (iv) In case licensee fails to lift liquor equivalent to the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of one or more quarters before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded.<br>If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue ; |
| (d)(i) The licensee desiring to transfer Quarterly Minimum Guaranteed Revenue, which he is not able to lift, to another licensee of the same type, may be allowed such transfer of such portion(quota) on a quarterly basis, within an excise district. | (d)(i) The licensee desiring to transfer Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of his shop, which he is not able to lift, to another shop or shops, may be allowed such transfer of such portion(quota) on quarterly basis, within an excise district; |
| (ii) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually. | (ii) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually**;** |
| (iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transfer Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligations regarding lifting of his original quota shall not be affected. | (iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transfered Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligations regarding lifting of his original quota shall not be affected; |

| **Column-I** *(Existing rule)* | **Column-II** *(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| (iv) A quota transfer fee as prescribed by the Excise Commissioner with the previous approval of the State Government, shall be payable by the transferor licensee at the time of making such request. | (iv) **"omitted"** |
| Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee. Similarly, the transferee licensee shall not be entitled to receive such transferred quota, in excess of 20% of his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue. | Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee. |

**9. Amendement of rule 18A–**In the said rules, for existing Rule 18(A) set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

| **Column-I** *(Existing rule)* | **Column-II** *(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| **18 (A) Interim Settlement–** | **18 (A) Interim Settlement–** |
| (a) In case a licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reason the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily licence fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount according to the rate of daily licence fees for the period of interim settlement. | (a) In case a licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reason the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily licence fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount according to the rate of daily licence fees for the period of interim settlement. Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority ,but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner; |
| Provided that the licensing authority shall not make interim settlement of the shop for more than two times without prior intimation to the Excise Commissioner. | |

| Column-I<br>*(Existing rule)* | Column-II<br>*(Rule as hereby substituted )* |
|---|---|
| (b) In case a license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner. | (b) In case a license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner. |

**10. Amendment of forms F.L. 5 (D) and F.L. 5 D(1)–**In the said rules, for existing Form F.L.5(D) and F.L.5D (1) setout in Column-I below, the forms as in Column-II shall be substituted, namely:-

| Column-I<br>*(Existing forms)* | Column-II<br>*(Forms as hereby subtitued )* |
|---|---|
| F.L.–5 (D) | F.L.–5 (D) |
| (FOR RENEWAL) | (FOR RENEWAL) |
| Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed Bottles/ Cans/TetraPacks for consumption "off" the premises | Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed Bottles/ Cans/TetraPacks for consumption "off" the premises |
| Photo of applicant / Photo of co applicant / Photo of shop | Photo of applicant / Photo of co applicant / Photo of shop |
| Latitude/Longitude of shop…….... | Latitude/Longitude of shop…….... |
| Licence No…….. | Licence No…….. |
| District…….…… | District…… |
| Name of shop…….. | Name of shop…… |
| Licence fee Rs…...…(in figures)…… (in words) | Licence fee Rs……(in figures)…… (in words) |
| Security amount Rs…… (in figures)……...(in words) | Security amount Rs…(in figures)……...(in words) |
| Description of premises (without boundaries) | Description of premises (without boundaries) |
| North…… | North…… |
| South…… | South…… |
| East…….. | East…….. |
| West…… | West…… |
| Name, Father's Name & Address of Licensee(s)--- | Name, Father's Name & Address of Licensee(s)--- |
| 1…….s/o ……R/o…… | 1……..s/o ……R/o…… |
| 2…….s/o ……R/o…… | 2……..s/o ……R/o…… |

| **Column-I**<br>*(Existing forms)* | **Column-II**<br>*(Forms as hereby subtitued )* |
|---|---|
| Name, Father's Name & Address of Salesmen---<br>1…….s/o ……R/o……<br>2…….s/o ……R/o……<br>3…….s/o ……R/o……<br>4…….s/o ……R/o…… | **"Omitted"** |
| Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/ Tetra Packs of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above ) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack ,wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder(s)….at……(place) in P.S. …….Tehsil ……. in the District of …….w.e.f. ……to March 31, 20……for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6. | Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/ Tetra Packs of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above ) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack ,wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder(s) ….at……(place) in P.S. …….Tehsil ……. in the District of …….w.e.f. ……to March 31, 20……for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6. |
| The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws. | The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws. |
| **General and special conditions**<br>1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner. | **General and special conditions**<br>1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner. |

**General and special conditions**

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Maximum retail price shall be printed on the lable of bottles/cans/ tetra packs of Foreign Liquor and wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.
4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.
5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person.
6. The sale shall be made in sealed bottles /cans/ tetra packs of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above ) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack of Foreign liquor and Wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/cans/ tetra packs as per prescribed security code under the Track and Trace System.

**General and special conditions**

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Maximum retail price and strength shall be printed in visible words of 1x1 centimeter on the lable of bottles/cans/ tetra packs of Foreign Liquor and wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.
4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.
5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person.
6. The sale shall be made in sealed bottles /cans/ tetra packs of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above ) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack of Foreign liquor and Wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/cans/ tetra packs as per prescribed security code under the Track and Trace System.

| General and special conditions | General and special conditions |
|---|---|
| 9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. | 9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed. |
| The signboard will also display the following information :- | The signboard will also display the following information :- |
| ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. | ">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. |
| >Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive." | >Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive." |
| 10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities. | 10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities. |
| 11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit. | 11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit. |
| 12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years. | 12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years. |

**General and special conditions**

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles /cans/tetrapacks in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.

**General and special conditions**

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles /cans/tetrapacks in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.

**General and special conditions**

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.

Date……..

District…….

Licensing Authority

F.L.—5 D (1)

(FOR NEW LICENCE)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed Bottles/Cans/Tetrapacks for consumption "off" the premises

| Photo of applicant | Photo of shop |
|---|---|
| | |

Latitude/Longitude of shop……....

Licence No……..

District……..……

Name of shop……..……

Licence fee Rs…… (in figures)..…… (in words)

Security amount Rs…(in figures)…….....(in words)

Description of premises (without boundaries)

North……

South……

East……..……..

West……..……

**General and special conditions**

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.
20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.
22. The licensee shall submit the list of salesman to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.

Date……..

District…….

Licensing Authority

F.L.—5 D (1)

(FOR NEW LICENCE)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed Bottles/ Cans/TetraPacks for consumption "off" the premises

| Photo of applicant | Photo of shop |
|---|---|
| | |

Latitude/Longitude of shop…….....

Licence No……..……..

District……...……

Name of shop……

Licence fee Rs…… (in figures)…… ..… (in words)

Security amount Rs…(in figures)… ….....(in words)

Description of premises (without boundaries)

North…….……

South…….……

East……..

West……

F.L.—5 D (1)

(FOR NEW LICENCE)

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---

1…….s/o ……R/o……

2…….s/o ……R/o……

Name, Father's Name & Address of Salesmen---

1…….s/o ……R/o……

2…….s/o ……R/o……

3…….s/o ……R/o……

4…….s/o ……R/o……

Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/ Tetra Packs of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above ) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack ,wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder(s)….at……(place) in P.S. …….Tehsil ……. in the District of …….w.e.f. ……to March 31, 20……for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**General and special conditions**

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.

F.L.—5 D (1)

(FOR NEW LICENCE)

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---

1…….s/o ……R/o……

2…….s/o ……R/o……

**"Omitted"**

Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/ Tetra Packs of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above ) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack ,wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder(s)….at……(place) in P.S. …….Tehsil ……. in the District of …….w.e.f. ……to March 31, 20……for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**General and special conditions**

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2/F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.

**General and special conditions**

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Maximum retail price shall be printed on the lable of bottles/cans/ tetra packs of Foreign Liquor and, Wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.

5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person.

6. The sale shall be made in sealed bottles /cans/ tetra packs of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above ) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack of Foreign liquor and Wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.

7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/cans/ tetra packs as per prescribed security code under the Track and Trace System.

**General and special conditions**

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Maximum retail price and strength shall be printed in visible words of 1x1 centimeter on the lable of bottles/cans/ tetra packs of Foreign Liquor and wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.

5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60Ml. of liquor shall be sold to any person.

6. The sale shall be made in sealed bottles /cans/ tetra packs of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above ) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack of Foreign liquor and Wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.

7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/cans/ tetra packs as per prescribed security code under the Track and Trace System.

**General and special conditions**

9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard will also display the following information :-

">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.

12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years.

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles/cans/tetrapacks in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

14.The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.

**General and special conditions**

9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard will also display the following information :-

">Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive."

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.

12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years.

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles /cans/tetrapacks in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

14.The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.

**General and special conditions**

15.The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16.The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.

19.The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.

20.The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.

Date……..

District…….

Licensing Authority

**General and special conditions**

15.The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16.The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.

19.The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.

20.The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.

22. The licensee shall submit the list of salesman to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.

Date……..

District…….

Licensing Authority

By order,
SENTHIL PANDIAN C.,
*Excise Commissioner,*
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0–15 असाधारण गज़ट–29.07.2022–127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।